

जैन दर्शन में स्यादवाद

Page: 7

जैन दर्शन के अनुसार परोक्ष या अपरोक्ष प्राणियों का अभिमत पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है। उनमें अस्ति और नास्ति वाचक गुणों के अभिमत प्रकाशना की परिस्थितियों के आधार पर अज्ञान धर्मों की प्रतीति जैन दर्शन के अनुसार की गई है। ऐसी अवस्था में किसी वस्तु का रेकान्तिक वर्णन सत्य नहीं कहा जा सकता। धर्मों के संबंध में निर्णय देने वाले धर्मियों का निदर्शन देकर जैन धर्मों दर्शनों में क्रोध की आशंका को दूर किया; वहीं जैन दर्शनों ने अपने ही भिन्न दर्शनों के सिद्धांतों-धर्मों को आंशिक सत्य बनाया। किसी के भी निर्णय का पूर्ण रूप सत्य होगा असंभव है, अतः प्रत्यक्ष का निर्णय आंशिक सत्यता तक ही पहुँच सकता है। इस निर्णय की पूर्णता एवं वास्तविकता को प्राप्त करने हेतु सत्य निर्णय का रूप ढाने की प्रक्रिया को जैन दर्शन में 'स्यादवाद' के नाम से अभिहित किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है कि धर्म के सत्ताविषयक निर्णय को ही ले लिया जाय। जब कोई धर्म को देखकर कहता है कि 'सत्य' है, तब विचार कर देखा जाए तो दोनों कर्ता और क्रिया तथा उसका संबंध सर्वात्मक सत्य नहीं है। यदि उनमें सत्तावाचक है' को सर्वात्मक में सत्य माना जाए तो ~~दोनों~~ ~~की~~ ~~अर्थ~~ ~~किस~~ ~~तब~~ ~~उसका~~ गिरी है, कपड़ा है यदि जिन्ही भी सत्ताएं हैं वे सजीवों-प्राणियों के हैं। ये अभिव्यक्त होती चाहिए। परन्तु धर्मों के प्रयोग ने उन संबंधी अभिव्यक्ति रोक दी और केवल धर्मों की अभिव्यक्ति ही रोष रह गये। नास्तिवाचक प्रक्रिया के आधार पर किसी भी विषय की सत्ता में अनेक या असंख्य पदार्थों की अस्तित्व का भी समावेश हुआ है। इसीलिए बौद्ध दर्शन सभी पदार्थों की स्वातंत्रिक पदार्थों के अभाव रूप से ही सत्य मानता है। उनके नसात्मक रूप को वह तुच्छ या नश्वर मानता है। परन्तु जैन दर्शन नसात्मक तथा अनावात्मक दोनों ही रूपों को अंशतः सत्य मानता है। इसीलिए जैन दर्शनों में स्यादवाद का अभिव्यक्त हुआ है। इसका भाव यह है कि किसी निर्णय को सत्य मानकर सत्यता को नकारना ही निर्णय में सत्यता ला सकता है। इस 'स्याद' शब्द का अर्थ किसी भी अभिव्यक्ति सहज हो जाय। सप्तब्रह्मी तथा (i) स्यादस्ति (ii) स्यान्नस्ति (iii) स्याद अस्ति नास्ति च (iv) स्यात् अव्यक्तत्वम् (v) स्यादस्ति चाव्यक्तत्वम् च (vi) स्यान्नस्ति चाव्यक्तत्वम् च (vii) स्यादस्ति च नास्ति च अव्यक्तत्वम् च प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व गुणों के धर्मों के लक्षण में प्राप्त हो तब ही निर्णय पर्याप्त माने जाते हैं।